न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–105/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र श्री गिरवरमल जाति महाजन निवासी बूंटोली, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर मृतक जरिये वारिसान –
   1/1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल जाति महाजन,
   1/2. ज्ञानचन्द पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल जाति महाजन,
   1/3. महेशचन्द पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल जाति महाजन, निवासीयान ग्राम बूंटोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... वादीगण/अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री हीरालाल, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–12.10.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने तहत न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 864 रकबा 19 ऐयर वाके ग्राम बूंटोली में स्थित है जिसका वादी गैर खातेदार काश्तकार है । यह आराजी वादी ने जंगीराम पुत्र गिरवर महाजन से दिनांक 19.01.1978 को रजिस्टर्ड बयनामें से खरीद की थी । वादी से पूर्व जंगीराम इस आराजी का गैर खातेदार था । प्रतिवादी को बार–बार उक्त आराजी को वादी की खातेदारी में दर्ज करने हेतु निवेदन किये जाने के बावजूद आज तक प्रतिवादी द्धारा उक्त आराजी को वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया है । प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भी भेजा जा चुका है । इसलिए दावा पेश करके वादी ने आराजी ख0 नं0 864 ग्राम बूंटोली का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया ।

12/10/18

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 30.09.2015 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 30.09.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 30.09.2015 का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि बयनामा प्रदर्श–1 से आराजी ख0 नं0 864 का बेचान जंगीराम पुत्र गिरवरमल द्वारा वादी को किया गया है जिस बयनामा के आधार पर विक्रेता श्री जंगीराम ने अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार होना जाहिर करते हुए उक्त बयनामा पंजीबद्ध कराया है जो बयनामा स्वयं उप पंजीयक ने पंजीयन किया है । यदि वास्तव में विक्रेता उस दिन गैर खातेदार होता तो उक्त बयनामा किसी भी प्रकार से पंजीयन नहीं होता । इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी विक्रेता की खातेदारी की आराजी थी और उसने सही प्रकार से बेचान किया है ।

बहस में आगे कहा कि राजस्व अभिलेख में यदि विक्रेता को गैर खातेदार दर्ज किया गया है तो वह राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण किया गया है जिस इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिए व वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वादी ने मौजूदा वाद तहत न्यायालय में दायर किया था जो काबिल डिक्री योग्य था । केवल इस आधार पर कि सैटलमेन्ट से पूर्व का रेकार्ड पत्रावली में संलग्न नहीं है, वाद वादी खारिज नहीं किया जा सकता था बल्कि अधीनस्थ न्यायालय सैटलमेन्ट से पूर्व के रेकार्ड को पेश करने के लिए वादीगण को आदेश देता जो नहीं दिया गया । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कतई गलत व खिलाफ कानून है जो निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

जवाब बहस में राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि सैटलमेन्ट से पूर्व का रेकार्ड तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे पूर्व की जानकारी नहीं होती है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि विवादित आराजी गैर खातेदारी की आराजी है । वक्त बेचान भी उक्त आराजी जंगीराम पुत्र गिरवरमल की गैर खातेदारी की आराजी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के अनुसार केवल एक खातेदार को ही अपनी आराजी के बेचान के अधिकार प्राप्त हैं । गैर

खातेदार को अपनी आराजी को विक्रय करने का अधिकार नहीं है । गैर खातेदार की हैसियत से किया गया बेचान विधि विरूद्ध होने के कारण शून्य माना है ।

इसलिए तहत न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री जारी की है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के अनुसार केवल एक खातेदार को ही अपनी आराजी बेचान का अधिकार प्राप्त है तथा विवादित आराजी गैर खातेदारी की आराजी है । बयनामा दि0 19.01.1978 को विवादित आराजी का जंगीराम द्वारा वादी/अपीलांट को किया गया है उसमें भी विवादित आराजी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 के अनुसार जंगीराम पुत्र गिरवरमल कौम महाजन सा0देह गैर खातेदार ही दर्ज है । इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 30.09.2015 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.10.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर